


कार्यालय सम्पत्ति अधिकारी
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-2

पत्रांक सीएसयू- 73 / सम्पत्ति / 2022

दिनांक: मई 06, 2022

नीलामी सूचना


सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, दरियापुर, रायबरेली, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कुल 65 सूखे/खड़े/हरे पेड़ों की विक्री (नीलामी) मुहर बन्द निविदा प्रक्रिया द्वारा जहाँ है जैसे है के आधार पर दिनांक 18.05.2022 को 12.30 बजे अपरान्ह, गठित समिति के समक्ष टेन्डर डाले जायेंगे तथा उसी तिथि को 1.00 बजे खोले जायेंगे। नीलामी की प्रक्रिया कृषि विज्ञान केन्द्र, दरियापुर, रायबरेली में सम्पन्न करायी जायेगी।


(मानेन्द सिंह)

सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।


- 1- गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को सूचनार्थ।
- 2- लकड़ी क्रेताओं को सूचनार्थ।
- 3- प्रभारी एरिस सेल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त उक्त नीलामी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाउन लोड करने का कष्ट करें।
- 4- जिलाधिकारी, रायबरेली।
- 5- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, रायबरेली।
- 6- कुलपति के तकनीकी सचिव को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।


(मानेन्द सिंह)

सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक

नीलामी की शर्त

- 1- उच्चतम निविदादाता को सम्पूर्ण धनराशि नीलामी के उपरान्त जमा करनी होगी।
- 2- क्रेता को लकड़ी काटकर 15 दिवसों के अन्दर उठाना होगा।
- 3- लकड़ी काटते समय किसी प्रकार की क्षति/दुर्घटना होती है तो समस्त उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।
- 4- क्रेताओं को पेड़/लकड़ी का निरीक्षण दिनांक 17.05.2022 को अपरान्ह 5.00 बजे तक कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी द्वारा कराया जायेगा।
- 5- टेन्डर फार्म रू0-1000/- में के0वी0के0 दरियापुर रायबरेली के कार्यालय से दिनांक 17.05.2022 से 18.05.2022 को 11.00 बजे पूर्वान्हन तक प्राप्त कर सकते हैं, टेन्डर की धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं होगी।
- 6- धरोहर धनराशि रू0-20,000/- नकद दिनांक 18.05.2022का 11.30 बजे तक जमा होगी, जो उच्चतम निविदादाता को छोड़कर सभी क्रेताओं की राशि वापस कर दी जायेगी।
- 7- क्रेता को 18% वाणिज्यकर सम्पत्ति कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 8- नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार पूर्णतय: गठित समिति को होगा।


(मानेन्द सिंह)

सम्पत्ति अधिकारी/संयोजक